

Q. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) plays a crucial role in regulating the Indian capital market, ensuring investor protection, and promoting market development. Critically analyze the role of SEBI in regulating the Indian securities market and suggest measures to enhance its effectiveness.

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the principal regulator of the Indian securities market. Established as a statutory body under the SEBI Act, 1992, it ensures transparency, investor protection, and market efficiency. Given the increasing complexity of financial markets, SEBI's role has expanded beyond regulation to fostering investor confidence and market stability.

Role of SEBI in Regulating the Securities Market

- 1. **Regulation of Market Participants** SEBI regulates stock exchanges, brokers, sub-brokers, mutual funds, and other intermediaries to ensure fair practices and prevent malpractices.
- 2. **Investor Protection** It safeguards retail investors through measures such as grievance redressal mechanisms (e.g. SCORES Portal), educational campaigns, and prohibition of unfair trade practices like insider trading.
- 3. **Market Development** SEBI has introduced reforms like dematerialization of shares, screen-based trading, and robust risk management systems, leading to increased market transparency.
- 4. **Prevention of Fraudulent Practices** It prohibits market manipulation, front-running, and excessive speculation, ensuring a level playing field for investors.
- 5. **Regulation of Takeovers and Mergers** The SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations oversee corporate takeovers to maintain market stability and prevent hostile acquisitions.
- 6. **Enhancing Corporate Governance** Through stringent disclosure norms, SEBI ensures that listed companies follow ethical financial practices and provide accurate information to stakeholders.

However, SEBI faces several challenges in effectively regulating the securities market. While its extensive powers ensure market stability, excessive regulation can sometimes hinder market flexibility. Despite stringent laws, insider trading and market manipulation remain persistent concerns, testing SEBI's enforcement mechanisms. Additionally, regulatory overlaps with bodies like RBI, IRDAI, and PFRDA create jurisdictional conflicts, leading to inefficiencies. Limited investor awareness further exposes retail investors to fraudulent schemes, undermining market confidence. Moreover, the rapid evolution of financial technologies, including algorithmic trading and cryptocurrencies, demands continuous regulatory adaptation to maintain market integrity.

Measures to Enhance SEBI's Effectiveness

- 1. **Strengthening Market Surveillance** Implementing AI and big data analytics to detect irregularities in trading patterns.
- 2. **Harmonizing Regulations** Ensuring better coordination between SEBI, RBI, and other financial regulators to remove overlaps.
- 3. **Enhancing Investor Protection Mechanisms** Expanding financial literacy programs and making grievance redressal mechanisms more efficient.
- 4. **Encouraging Market Innovation** Creating a balanced regulatory framework that fosters fintech and digital financial products while minimizing risks.



5. **Improving Human Resource Capacity** – Hiring financial experts and leveraging private-sector talent to strengthen regulatory oversight.

SEBI has played a pivotal role in ensuring a stable and transparent securities market, contributing to India's economic growth. However, with evolving financial markets, regulatory challenges persist. A proactive approach with better surveillance, inter-regulatory coordination, and investor awareness will strengthen SEBI's effectiveness, making India's financial ecosystem more resilient and globally competitive.





प्रश्न: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाजार विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने में सेबी की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भारतीय प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है। सेबी अधिनियम, 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित, यह पारदर्शिता, निवेशक की सुरक्षा और बाजार में दक्षता सुनिश्चित करता है। वित्तीय बाजारों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, सेबी की भूमिका विनियमन से आगे बढ़कर निवेशकों का विश्वास और बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने तक विस्तारित हो गई है।

प्रतिभूति बाजार के विनियमन में सेबी की भूमिका

- 1. **बाजार सहभागियों का विनियमन** सेबी निष्पक्षता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों, ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों, म्यूचुअल फंडों और अन्य बिचौलियों को नियंत्रित करता है।
- 2. **निवेशक संरक्षण** यह शिकायत निवारण तंत्र (जैसे SCORES पोर्टल), शैक्षिक अभियान और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध जैसे उपायों के माध्यम से खुदरा निवेशकों की सुरक्षा करता है।
- बाजार विकास सेबी ने शेयरों के डीमैटिरयलाइज़ेशन, स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग और मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली जैसे सुधार लागू किए हैं, जिससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ी है।
- 4. **धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं की रोकथाम** यह बाजार में हेरफेर, फ्रंट-रनिंग और अत्यधिक सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करता है, जिससे निवेशकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।
- 5. अधिग्रहण और विलय का विनियमन सेबी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से विनियम बाजार स्थिरता बनाए रखने और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण को रोकने के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया की निगरानी कर<mark>ता है।</mark>
- 6. **कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देना** कड़े प्रकटीकरण मानदंडों के माध्यम से, सेबी <mark>यह</mark> सुनिश्चित करता है कि सूचीबद्ध कंपनियाँ नैतिक वित्तीय प्रथाओं का पालन करें और हितधारकों को सटीक एवं पारदर्शी जानकारी प्रदान करें।

हालाँकि, सेबी को प्रतिभूति बाजार के प्रभावी विनियमन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी व्यापक शक्तियाँ जहाँ बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करती हैं, वहीं अत्यधिक विनियमन कभी-कभी बाजार को बाधित कर सकता है। कड़े कानूनों के बावजूद, इनसाइडर ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर जैसी समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं, जो सेबी के प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता की परीक्षा लेती हैं। इसके अतिरिक्त, RBI, IRDAI और PFRDA जैसे अन्य नियामक निकायों के साथ विनियामक ओवरलैप से क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रशासिनक अक्षमताएँ बढ़ती हैं। सीमित निवेशक जागरूकता खुदरा निवेशकों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है, जिससे बाजार में विश्वास कमजोर होता है। इसके अलावा, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकियों का तीव्र विकास, बाजार की अखंडता बनाए रखने के लिए सेबी से निरंतर विनियामक अनुकूलन की माँग करता है।

सेबी की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

- 1. **बाजार निगरानी को सुदृढ़ करना** ट्रेडिंग पैटर्न में अनियमितताओं की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बृहत् आँकडों के एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना।
- 2. विनियमनों में समन्वय सेबी, आरबीआई और अन्य वित्तीय नियामकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, जिससे विनियामक ओवरलैप को समाप्त किया जा सके।
- 3. **निवेशक संरक्षण तंत्र को सशक्त बनाना** वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना और शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कृशल और प्रभावी बनाना।
- 4. **बाजार नवाचार को बढ़ावा देना** ऐसा संतुलित नियामक ढाँचा विकसित करना जो जोखिमों को न्यूनतम रखते हुए फिनटेक और डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करे।
- 5. **मानव संसाधन क्षमता में सुधार** नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की भर्ती करना और निजी क्षेत्र की प्रतिभाओं का प्रभावी उपयोग करना।

सेबी ने भारत के आर्थिक विकास में योगदान देते हुए स्थिर और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, विकसित होते वित्तीय बाजारों के साथ नियामक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बेहतर निगरानी, अंतर-



नियामक समन्वय और निवेशक जागरूकता के साथ एक सक्रिय दृष्टिकोण, सेबी की प्रभावशीलता को और अधिक मजबूत करेगा। इससे भारत का वित्तीय तंत्र अधिक लचीला और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

